छत्तीसगढ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 21/6/05

कमांक एफ–20–95/04/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **"छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004"** निम्नांनुसार लागू करता है ।

1– **परिचय –**

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके पेटेन्ट व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने तथा उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू है ।

2– **नियम –**

"तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना" को कियान्वित करने के लिये बनाये गये नियम "छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 " कहे जावेगें जो दिनांक 1 नवम्बर 2004 से प्रवृत्त हुए माने जायेंगे ।

3– **परिभाषाएं –**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, वाणिज्य उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी" तथा "राज्य के मूल निवासी" की वही परिभाषाएं होगी जो **"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004"** में दी गई है।

4– **पात्रता –**

(1)– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले राज्य में स्थापित समस्त नवीन औधोगिक इकाईयों को उनके द्वारा उनके उत्पाद / उत्पादन प्रकिया के पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उपरांत अनुदान की पात्रता होगी ।

(2)– औधोगिक इकाईयों को पेटेन्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक/ इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा । निर्धारित कालावधि के पश्चात किये गये आवेदनों पर अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(3)– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपकमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नही होगी ।

(4)– उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से योजना की कालावधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5)– औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय / वित्तीय संस्थाओं से पेटेन्ट पंजीयन पर अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस अधिसूचना के अंतर्गत पात्रता नही होगी ।

(6)– भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/ अधीनस्थ कार्यालयों/ पंजीकृत पेटेन्ट एजेंट्स के माध्यम से पेटेन्ट पंजीकृत कराने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

(7)– औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद / प्रकिया / शोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी।

(8)– विकसित उत्पाद/ प्रकिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है का वाणिज्यिक उत्पादन /उपयोग, पेटेन्ट कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा ।

(9)– औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत जिन उद्यमियों ने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने एवं पेटेन्ट प्राप्त करने उपरांत औद्योगिक नीति 2004–2009 के अन्तर्गत इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत अधिसूचना कमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–6 दिनांक 7.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5– **<u>अनुदान की मात्रा –</u>**

औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय नियमों / कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य / आविष्कार पर पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त होने के उपरांत इस हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय तथा शत–प्रतिशत एफडीआई निवेशकों को 55 प्रतिशत) अधिकतम रूपये 5 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है– आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/ लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा पर हुआ व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नही किया जावेगा)।

6– **<u>प्रकिया व अधिकार –</u>**

6.1– औधोगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध 5" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

1– संबंधित ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयं भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

2– संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

3– "उपाबंध–2" में निर्धारित प्रारूप पर चाटर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

4– पेटेन्ट पंजीयन / स्वीकृति प्रमाण पत्र

6.2– अनुदान सबंधी आवेदन औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा ।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर प्रकरण के परीक्षण करने के उपरांत "उपाबंध 4" के अनुसार "स्वीकृति आदेश" जारी किया जावेगा ।

इस योजना के अर्न्तगत महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संबंधित विषय के विशेषज्ञों अथवा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों संस्थाओं से आवश्यकतानुसार परामर्श भी ले सकेगा, पेटेन्ट से संबंधित बिन्दु तकनीकी होने के कारण अनुदान की स्वीकृति के संबंध में महाप्रबंधक दायी नही होगा ।

प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा व इस आदेश में स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व आदेश से सहमत न होने पर अपर संचालक, उद्योग संचालनाय को निरस्तीरकण आदेश के जारी होने के 30 दिवसों की अवधि में अपील किये जाने का उल्लेख होगा ।

स्वत्व का निराकरण पूर्ण आवेदन के प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिवस में किया जावेगा ।

6.3– बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाईयों को "अनुदान स्वीकृति" के दिनांक के कम में किया जावेगा ।

6.4– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

7– **अनुदान की वसुली –**

(7.1)–यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा ।

(7.2)– महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नही पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को भुगतान कर दी गई है तो वसूल कर सकें ।

(7.3)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु कमांक 4 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी ।

(7.4) पेटेन्ट पंजीकृत कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा यदि पेटेन्ट का विक्रय अथवा उपयोग की अनुमति अन्य औद्योगिक इकाई / व्यक्ति / संस्था को योजना की कालावधि में दी जाती है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी ।

8– **अपील / वाद –**

1– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्व अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में हुये विलंब एवं आवेदन करने में हुये विलंब को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी औद्योगिक इकाई को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

2– नियमों की व्यांख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वांणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

9– **स्वप्रेरणा से निर्णय –**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

10— **कार्यकारी निर्देश —**

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

11— **फेसिलिटेशन काउंसिल—**

औद्योगिक इकाइयों को पेटेन्ट व बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के प्रति जागरूक्ता, राष्ट्रीय /अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट के संबंध में हो रहे कार्यकलाप, व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी0एस0आई0आर) टेक्नोलॉजी इनफरमेशन फोरकास्टींग एण्ड असिसमेन्ट कांउन्सिल से सतत सम्पर्क में रह कर पेटेंन्ट पंजीयन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में स्थापित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय में एक "फेसिलिटेशन काउन्सिल" भी होगी जिसका प्रभारी उप संचालक /महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी होगा ।

फेसिलिटेशन काउन्सिल में तकनीकी पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि के सबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिर्वतनों की जानकारी रखी जावेगी । काउन्सिल की बैठक सामान्यतः 3 माह में एक बार होगी व फेसिलिटेशन सेल संबधी व्यय सी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा वहन किया जावेगा ।

अ— **फेसिलिटेशन सेल का स्वरूप निम्नानुसार होगा —**

1—	प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2—	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह0कार्पो0लि0 या उनका नाम निर्देशिति (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो)	सदस्य
3—	संचालक, लघु उद्योग सेवा संस्थान या उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4—	रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि	सदस्य
5—	कृषि विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि	सदस्य
6—	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
7—	छत्तीसगढ उद्योग महासंघ द्वारा नाामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
8—	छत्तीसगढ लद्यु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
9—	लद्यु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
10—	उद्योग आयुक्त/अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

12— **योजना का कियान्वयन —**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. नोट कमांक 821 दिनांक 27.05.2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनूप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

उपाबंध–1

(नियम 6.1)

("छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –
अ दूरभाष –
ब मोबाईल–
स फैक्स –

2– फैक्ट्री स्थल–
स्थान –
विकास खंड
जिला –

3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक–

4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक –

5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

6– पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन कमांक–

7– पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय–

8– क्लेम राशि –

9– रोजगार

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			

स्थान :

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

घोषणा–पत्र

मै.................................... आत्मज................................ प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री................. में स्थित है व स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ है निम्नानुसार घोषणा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई ने पेटेन्ट प्राप्त किया है जिसका पंजीयन कमांक............................ है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण / उत्पाद प्रकिया में किया जा रहा है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार / वित्तीय संस्थानों की किसी योजना के तहत पेटेन्ट अनुदान प्राप्त नहीं किया है

या

पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरांत भारत सरकार .... / वित्तीय संस्था............ से रू. .... अनुदान के रूप में प्राप्त किये हैं ।

3– पेटेन्ट अनुदान हेतु भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है ।

या

4– पेटेन्ट प्राप्त उपरांत भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन दिया है व भारत सरकार / वित्तीय संस्था...................... से यदि औद्योगिक इकाई द्वारा भविष्य में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को दी जावेगी ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत होने /तथ्यों को छुपाया पाये जाने /जानकारी नहीं दिये जाने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

प्रारूप

उपाबंध–2
(नियम 6.1 (3)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

1– औद्योगिक इकाई .... .जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.................. में स्थित है, जिसका स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक................ है, ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक.. दिनांक............................... प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक.........................तक किया गया व्यय रूपये...............................(अक्षरों में)........... .... है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:

क0	विवरण पेटेन्ट पंजीयन पर किया गया व्यय	पेटेन्ट पंजीयन विभाग / पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है	व्यय राशि	भुगतान राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेषण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय.			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	पेटेंन्ट एजेन्ट कमीशन व्यय			
7	अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय			
8	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

"उपाबंध 3"
(नियम 6.2)
"छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –
अ दूरभाष –
ब मोबाईल–
स फैक्स –

2– फैक्ट्री स्थल–
स्थान –
विकास खंड –
जिला –

3– स्थायी लघु उद्योग पंजीयन कमांक / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक–
4– उत्पाद व उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक –
5– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –
6– पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन कमांक–
7– पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय–
8– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।
9– रोजगार संबंधी टीप :

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					

4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त पेटेन्ट का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित उत्पाद / उत्पादन प्रकिया में होने बाबत टीप

4– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान ....पर की गई व्यय राशि में ....रू. मान्य है । अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है :–

1–
2–
3–
4–

5– अभिमत :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक

नाम
पद

"उपाबंध–4"
(नियम 6.2)
"छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004" के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 के नियम कमांक "6.2" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
2– उद्योग का स्वरूप :
3– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–
4– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
5– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)
6– पेटेन्ट का पंजीयन कमांक /दिनांक /संस्था
7– पेटेन्ट पर किया गया अनुमोदित व्यय–
8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)
9– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)– सामान्य
(800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)
(5447)– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान
13– आर्थिक सहायता 001 प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

"उपाबंध–5"
(नियम 6.1)
(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..................................

मेसर्स .... पता... .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004 .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत
प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स..
....
....